संख्या:738/2023/2067/35-4-2023/001-35-4099/56/2023

प्रेषक,

राम प्रीत राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कन्नौज।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 27 जुलाई,2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में जनपद-कन्नौज के विधान सभा क्षेत्र छिबरामऊ में राजकीय पॉलीटेक्निक, तालग्राम देहात, छिबरामऊ, कन्नौज के भवन निर्माण कार्य की त्वरित आर्थिक विकास योजना से शासनादेश संख्या-16/2020/255/35-4-2020, दिनांक 17 फरवरी 2020 द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए निर्माण कार्य की अनुमोदित लागत रु. 1824.90 लाख (जी०एस०टी० नियमानुसार देय) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू 200.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। तत्पश्चात शासनादेश संख्या- 09/2021/46/35-4-21 दिनांक 20 जनवरी, 2021 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 273.73 लाख तथा शासनादेश संख्या-87/2021/1034/35-4-2021, दिनांक 24 जून, 2021 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 894.94 लाख तथा शासनादेश संख्या-3/2022/010/35-4-22 दिनांक 03 जनवरी, 2022 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 546.33 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। इस प्रकार प्रश्नगत कार्य हेतु अब तक कुल रू. 1915.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। जिलाधिकारी, कन्नौज द्वारा पत्र सं0-55/त्व0आ0वि0यो0/अव0 किश्त मांग-रा0पा0/2023-24 दिनांक 06 मई, 2023 द्वारा उक्त शासनादेशों से पूर्व में अवमुक्त धनराशि का शत-प्रतिशत उपभोग किया जाना इंगित किया गया है। एतदद्वारा उपर्युक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत कार्य की अनुमोदित कुल लागत रू. 1824.90 लाख तथा जी0एस0टी0 की धनराशि रू. 195.84 लाख अर्थात परियोजना की कुल लागत रू. 2020.74 लाख के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि रू. 1915.00 लाख को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि रू. 105.73 लाख (रूपये एक करोड़ पांच लाख तिहत्तर हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(लाख रू. में)

कार्य	कार्य की अनुमोदित लागत	जीएसटी की लागत	परियोजना की कुल लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष देय धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
राजकीय पॉलीटेक्निक तालग्राम देहात, छिबरामऊ, कन्नौज का भवन निर्माण कार्य	1824.90	195.84	2020.74	1915.00	1915.00	105.74	105.73

1. सन्दर्भित शासनादेश दिं0 17 फरवरी, 2020, दिनांक 20 जनवरी, 2021, दिं0 24 जून, 2021 एवं दि0 03 जनवरी, 2022 की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।
2. इस शासनादेश से परियोजना हेतु अनुमोदित लागत एवं जी0एस0टी0 के सापेक्ष पूर्ण धनराशि अवमुक्त हो जाती है। परियोजना हेतु अब कोई धनराशि देय नहीं होगी। परियोजना को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी
3. प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चिमत किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2024 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2024 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2024 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
7. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक-17 मार्च, 2023 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा सम्परीक्षित लेखे अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,05,73,000/- (रूपये एक करोड़ पांच लाख तिहत्तर हजार मात्र) को वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्ष-4202021040302 राजकीय पॉलीटेक्निक के भवन निर्माण के चालू कार्य-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक-17 मार्च, 2023 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राम प्रीत राम)
उप सचिव।

संख्या:738/2023/2067/35-4-2023/001-35-4099/56/2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7- मण्डलायुक्त, कानपुर।
8- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, कानपुर, उत्तर प्रदेश।
9- प्रबन्ध निदेशक, सी0एण्ड0डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, टी0सी0-38 बी, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
10- मुख्य विकास अधिकारी, कन्नौज।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कन्नौज।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5।
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कन्नौज।
14- परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-43, सी0एण्ड0डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, फर्रूखाबाद।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम प्रीत राम)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।